भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 319

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: धान और गेहूँ के अलावा अन्य फसलों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने की कार्यनीति

319. श्रीमती भारती पारधीः

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों को उनकी सभी अधिसूचित फसलों विशेषकर धान और गेहूँ के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार की कार्यनीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों में जहाँ खरीद की अवसंरचना कमजोर है उसे सशक्त करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार सीमित बाज़ार पहुँच वाले क्षेत्रों में इसकी प्रभावशीलता से संबंधित चिंताओं का किस प्रकार समाधान कर रही है; और

(घ) क्या किसानों को अधिक निश्चितता प्रदान करने के लिए वैकल्पिक मूल्य समर्थन तंत्र का पता लगाने या एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी लागू करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार ने राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय किए हैं। इन 22 अधिसूचित फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास जैसी 14 खरीफ फसलें और गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम जैसी 6 रबी फसलें और जूट और खोपरा जैसी दो वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एम.एस.पी. को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना स्तर पर बनाए रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिसूचित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एम.एस.पी. में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ वृद्धि की है।

सरकार, किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। जब दलहन, तिलहन और कोपरा का बाजार मूल्य एमएसपीसे कम हो जाता है तब संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत इन उत्पादों की खरीद की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) पीएम-आशायोजना के तहत खरीद एजेंसियां हैं। सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से क्रमशः कपास और पटसन की खरीद भी एमएसपीपर की जाती है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की एकीकृत योजना के अंतर्गत, सरकार मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) और मूल्य कमी भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस.) को क्रियान्वित कर रही है।

मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध पर लागू किया जाता है, जो अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद पर मंडी कर से छूट देने के लिए सहमत होते हैं। इसके साथ ही, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा केंद्रीय/राज्य वेयरहाउसिंग निगम के गोदामों या वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं की बुकिंग, खरीद केंद्रों की पहचान, बोरे की व्यवस्था, जीपीआरएस-सक्षम परिवहन सुविधाएं और तौल मशीन जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। नमी, अपद्रव्यों (फ़ॉरेन मैटर्स), ऑयल कंटेंट आदि की जांच के लिए मशीनों की व्यवस्था केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड तथा राज्य स्तरीय एजेंसियों के परामर्श से की जाती है।

खरीद वर्ष 2024-25 से, पी.एस.एस. के तहत अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उस विशेष सीजन के लिए राज्य के उत्पादन के अधिकतम 25% तक की मंजूरी दी जाती है। इसके बाद, यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वीकृत मात्रा की खरीद कर लेता है और आगे भी अधिक मात्रा की खरीद करना चाहता है, तो पी.एस.एस. के तहत खरीद का प्रस्ताव सचिवों की समिति (सीओएस) के विचार के लिए रखा जाता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन के अधिकतम 25% तक सीमित होता है। हालांकि, दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर पी.एस.एस. के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है।

मूल्य कमी भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस.) में, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मार्केट में एम.एस.पी. और विक्रय/मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान, एम.एस.पी. मूल्य के 15%

तक (2% प्रशासनिक लागत सहित) किया जाता है। यह भुगतान पूर्व-पंजीकृत किसानों को किया जाता है जो निर्धारित अवधि के भीतर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित मार्केट यार्ड में अपने उत्पादन का 40% तक तिलहन निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के स्तर पर बेचते हैं। हालाँकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास किसी विशेष वर्ष/सीजन हेतु विशिष्ट तिलहन के लिए पी.एस.एस. या पी.डी.पी.एस. लागू करने का विकल्प है। यदि कोई राज्य 40% से अधिक मात्रा को कवर करने के लिए तैयार है, तो वह अपने संसाधनों के माध्यम से ऐसा कर सकता है।

सब्जियों और फलों सहित शीघ्र खराब होने वाली कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए, जो एम.एस.पी. के अंतर्गत कवर नहीं हैं, सरकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अनुरोध पर बाज़ार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) लागू कर रही है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को अधिकतम आवक अवधि के दौरान बम्पर फसल की स्थिति में मजबूरन बिक्री से बचाना है, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं।

(घ): न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति की विषय-वस्तु में (i) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) को अधिक स्वायत्तता देने के लिए व्यावहारिकता पर सुझाव और इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, और (ii) देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को सुदृढ़ बनाना ताकि घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्यों के माध्यम से उच्च मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

*****